# <u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदे ा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 4200–4331/भवन निर्माण (90)/2011 दिनांक 15.07.2011 के माध्यम से गम्भीर बीमारी सहायता योजना अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में भासन द्वारा प्रस्तावित सं ोधनों पर अनापत्ति संख्या–1471/छत्तीस–2–12–93(1)/2011, दिनांक 11.06.2013 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली **गम्भीर बीमारी सहायता योजना** के अन्तर्गत निम्न सं ोधन किये गये हैः–

1. इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक द्वारा स्वंय अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित 21 वर्श से कम आयु के पुत्र/अविवाहित पुत्री की गम्भीर बीमारी में प्रदे ा के किसी भासकीय चिकित्सालय में तथा भारत सरकार या उ0प्र0 सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्वायत्त ासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज के उपरान्त प्रक्रिया एवं भार्तों के अधीन उसके द्वारा उस बीमारी के उपचार पर किये गये इलाज की भात–प्रति ात प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी।
2. योजना के अन्तर्गत यदि लाभार्थी श्रमिक गम्भीर बीमारी की स्थिति में राश्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, भारत सरकार की सी0जी0एच0एस0 व ई0एस0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुबंधित अस्पतालों में भर्ती होने या इलाज कराते है, तो उनसे प्राप्त सूचना/अभिलेख के आधार पर गम्भीर बीमारी की इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को की जायेगी।
3. योजना के अन्तर्गत उक्त सं ोधित लाभ सं ोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होंगे। पूर्व में प्राप्त आवेदनों पत्रों पर उपरोक्त सं ोधन कदापि लागू नही होंगे।
   तद्नुसार सं ोधित योजना के अनुसार भविश्य में कार्यवाही कराना सुनि चत करें।

(डॉ0 गुरदीप सिंह)
सचिव, बोर्ड।

## <u>कार्यालय, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर</u>

पत्रांकः 411–17/भ0नि0बो0(      )–2013 दिनांकः– 27.06.2013

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपयुर्क्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदे ा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोश्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेशित करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कश्ट करें।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या : 1471/छत्तीस–2–12–93(1)/2011, दिनांक 11.06.2013 के क्रम में सूचनार्थ।

(माला श्रीवास्तव)
अपर सचिव, बोर्ड।